मदन V/s बख्तावर

21/10/24 ~~[struck]~~ वैधिक वारिसान की जानकारी / सूची प्रस्तुत की जाती है पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र 022 R 4 हेतु दिनांक 6/11/24 को पेश हो।

[signature] 21/10/24

6/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी - वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा ~~[struck]~~ न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर के खसरा नं. 8878 रकबा 5.07 बीघा के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92 क एवं 188 के अन्तर्गत दावा सं. 84/2014 भी पेश किया गया था। उक्त दावा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/6/2016 को निर्णीत किया जा चुका है। अतः वादी द्वारा पश्चातवर्ती वाद में समान विवादग्रस्त भूमि का दावा पेश करने एवं समान अनुतोष चाहने से पश्चातवर्ती वाद पर रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है परन्तु इस प्रकरण के सम्बन्ध में पश्चातवर्ती वाद का गुणावगुण पर निर्णय हो जाने से पूर्व में प्रस्तुत वाद को भी खारिज किया जाना चाहिये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा वाद सं. 84/2014 नि.दि. 28/6/2016 की फोटो प्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा समान विषय वस्तु पर पश्चातवर्ती वाद सं. 84/2014 का निर्णय हो जाने से पूर्ववर्ती वाद के निर्णीत हो जाने का विरोध जाहिर करते हुये कहा कि वर्तमान में विचाराधीन वाद

— लगातार

सहायक कलक्टर [signature] 6/11/24
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मदन V/S बगतावर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/11/24	में ग्राम पुर की आराजी नं. 8878 रकबा 5 बीघा के घोषणात्मक अधिकारों हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि वाद सं- 81/2014 में ग्राम पुर की आराजी नं. 8878 के अतिरिक्त खसरा नं. 8910 रकबा 5-12 बीघा हेतु भी वाद पेश किया गया था अतः वर्तमान में विचाराधीन वाद एवं निर्णित वाद की विषयवस्तु समान नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पुनः ~~अधिवक्ता द्वारा~~ बहस करते हुये निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस वाद में विवादग्रस्त आराजी नं. 8878 रकबा 5.00 बीघा ग्राम पुर के घोषणात्मक अधिकारों के वाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः उक्त वाद खारिज काबिल है। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का मनन किया गया। तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन चिन्तन किया गया। बहस के मनन एवं चिंतन उपरान्त यह न्यायालय यह उचित समझता है कि ~~उक्त~~ वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त आराजी ग्राम पुर के खसरा नं. 8878 रकबा 5 बीघा के सम्बन्ध में राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 A व 188 के अन्तर्गत अर्जी में निर्णय पारित किया जा चुका है प्रथम दृष्टया पूर्व में निर्णय पारित किये जाने से यह वाद काबिले खारिज है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	

— लगातार

(हस्ताक्षर) 6/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मदन v/s बख्तावर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/11/24	की धारा 88, 89, 92A व 188 को खारिज किया जाता है तथापि सरेडूगलाल मुताबिक गया डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नया नम्बर से कम हो। 6/11/24 सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	